: :न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला—झालावाड़ (राज.): :

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्रकरण संख्या	:	**47/2020**
एफआईआर संख्या	:	**280/2019**
सीएनआर नंबर	:	**RJJW08-000088-2020**

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला—झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र बरदीलाल उम्र 60 साल
2. नन्दुबाई पत्नी बंशीलाल उम्र. 60 साल
3. पुजाबाई पत्नी रामप्रसाद उम 30 साल
4. रामप्रसाद पुत्र बंशीलाल उम 32 साल
5. सुनिताबाई पत्नी गिरधारी उम 22 साल निवासीगण दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0)

अभियुक्तगण.......

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 336, 504, 149 भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः— 7.03.2026</u>**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनाक 05.12.19 को फरियादी धुलीलाल पुत्र बरधीलाल उम्र 70 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली का माननीय न्यायालय एमजेएम कोर्ट अकलेरा से अन्तर्गत धारा 156(3) जा.फो का इस्तगासा इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनाक 06.11.2019 वार बुधवार समय रात 9 बजे की बात है। फरियादी अपने घर पर ही था। मुलजिमान 1 लगायत 6 एक राय होकर नाजायज बलवा बनाकर आपराधिक उद्देश्य से अपने हाथो मे लकडिया लेकर मा बहिन की बफोश गालिया निकालते हुवे फरियादी के मकान पर आये ओर पत्थर फेकने लगे तथा कहा कि धुलीलाल बाहर निकल आज जान से मारे मानेगे। उसी समय हल्ला सुनकर फरियादी मकान के बाहर निकला तो सभी मुलजिमान ने फरियादी के साथ पत्थरो से मारपीट की ओर कहने लगे कि तुमने हमारे पिताजी को एनडीपीएस मे पुलिस से पकडवाया है। रामप्रसाद व पप्पुलाल बंशीलाल ने पत्थरो से मारपीट की व नन्दु, पुजा सुनिता ने लकडियो से मारपीट की जिससे दायी आख के नीचे खुन आलुदा चोट आई, दाये कन्धे पर चोट सुजननुमा तथा मोर पर जगह जगह चोटे आयी। चिल्ला चोट सुनकर उसके घर से रीनाबाई दोडकर आयी जिसके साथ भी मुलजिमान रामप्रसाद पप्पुलाल बंशीलाल ने मारपीट की ओर

रामप्रसाद ने रीना का गला दबा कर नीचे पटक दिया ओर उसकी बच्ची की चोटी पकडकर खीचतान की ओर छाती पर बैठ गये। गवाहान दोडकर आये जिन्होने बीच बचाव किया।.............इत्यादि।

02. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 280/2019 अन्तर्गत धारा 147, 336, 504, 341, 323 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण बंशीलाल, नन्दुबाई, पुजाबाई, रामप्रसाद, सुनिताबाई के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 336, 504, 149 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में दिनांक 6—01—2020 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

03. अभियुक्तगण बंशीलाल, नन्दुबाई, पुजाबाई, रामप्रसाद, सुनिताबाई के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 336, 504, 149 भा.दं.सं. का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**
पी.डब्ल्यू—1	रीनाबाई
पी.डब्ल्यू—2	रामकंवरी बाई
पी.डब्ल्यू—3	धुलीलाल
पी.डब्ल्यू—4	पुरीलाल
पी.डब्ल्यू—5	मांगीलाल
पी.डब्ल्यू—6	छोटूलाल
पी.डब्ल्यू—7	डॉ सत्येन्द्रसिंह

05. **अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची**
अभियोजन पक्ष

कमांक	**प्रदर्श कमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी 1	फर्द नक्शामौका

2.	प्रदर्श पी 2	इस्तगासा
3.	प्रदर्श पी 3	पुलिस अधीक्षक को दिया गया परिवाद
4.	प्रदर्श पी 6	चोट प्रतिवेदन

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07. **बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची**

बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार** **(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)**
निल	निल	निल

08. **बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची**

बचाव पक्ष

कमांक	**प्रदर्श कमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी4	पुलिस बयान पुरीलाल
2.	प्रदर्श पी5	पुलिस बयान मांगीलाल

09 दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10. बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 6.11.2019 को समय करीब 9 बजे के लगभग ग्राम मौजा दुर्जनपुरा थाना घाटोली में परिवादी धुलीलाल को सदोष अवरोध कारित कर सामान्य उददेश्य के अग्रसरण मे बल व हिंसा का प्रयोग कर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से भय में डालकर मानव जीवन संकटापित कर लोकशांति भंग करने के आशय से फौश गालियां देकर उनके साथ मारपीट कर साशय अपमानित किया। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 147, 341, 323, 336, 504, 149 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

2– यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण की मुख्य साक्षी स्वयं फरियादी धुलीलाल पीड–03 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 6 साल पहले रात क 9 बजे की बात है। वह, उसकी पुत्री रीना और बहु रामकवंरी बाई घर पर थे, तभी बंशीलाल, रामप्रसाद, नन्दुबाई, पूजाबाई और सुनिता ये सभी हाथों में पत्थर व लकड़ियां लेकर उनके घर आये और मां बहन की गालियां देने लगे और पत्थर फेंकने लगे और कहने लगे कि धुलीलाल बाहर निकल तुझे जान से मारेंगे। वह घर से बाहर आया तो लकड़ियों और पत्थरों से मारपीट की। बंशी ने उसके आंख पर पत्थर की मारी जिससे दायी आंख के नीचे खून निकल आये। रीना और रामकवंरी आये जिन्होने आकर बीच बचाव किया। बीच बचाव में उसकी पुत्री के भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। उक्त घटना की उसने रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने कार्यवाही नही की तो उसने न्यायालय में परिवाद पेश किया था जो प्रदर्श पी2 है जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है। पुलिस अधीक्षक को परिवाद दिया जो प्रदर्श पी3 है जिस पर एक्स

स्थान पर अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी1 है जिस पर वाई स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसके साथ कौनसे साल, सवंत में मारपीट हुई थी उसे याद नही है। इस सुझाव से इन्कार किया कि वह थाने में रिपोर्ट कराने नहीं गया हो। उसके साथ किसने मारपीट करी थी उसे ध्यान नही है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिम बंशीलाल और वह सगे भाई है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके व उसके भाई के जमीन की रंजिश चल रही है। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसका भाई व वह धक्का मुक्की हुए हो जिससे वह गिर गया हो और उसके गिरने से चोटें आई हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके एक जगह ही चोंट आई थी तथा उसने मुकदमा मुलजिमान को फंसाने के लिये बढ़ाचढ़ा कर किया था।

12. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 1 रीनाबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 6 साल पहले रात के नौ बजे की बात है। वह, उसकी भाभी रामकवंरी बाई व उसके पिताजी घर पर थे, तभी बंशीलाल, रामप्रसाद, नन्दुबाई, पूजाबाई और सुनिता ये सभी हाथों में पत्थर व लकड़ियां लेकर उनके घर आये और मां बहन की गालियां देने लगे और पत्थर फेंकने लगे और कहने लगे कि धुलीलाल बाहर निकल तुझे जान से मारेंगे। उसके पिताजी घर से बाहर आये तो लकड़ियों और पत्थरों से मारपीट की जिससे उनकी दायी के आंख के नीचे खून निकल आये। वह और उसकी भाभी आये उन्होंने आकर बीच बचाव किया। बीच बचाव में उसके भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। उक्त घटना की उसके पिता ने रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त मे गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर लड़ाई झगड़े के बाद आई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। उसके सामने कोई घटना नही हुई।

13. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 2 रामकंवरी बाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 6 साल पहले रात क 9 बजे की बात है। वह, उसकी ननद रीनाबाई व उसके ससुरजी घर पर थे, तभी बंशीलाल, रामप्रसाद, नन्दुबाई, पूजाबाई और सुनिता ये सभी हाथों में पत्थर व लकड़ियां लेकर उनके घर आये और मां बहन की गालियां देने लगे और पत्थर फेंकने लगे और कहने लगे कि धुलीलाल बाहर निकल तुझे जान से

मारेंगे। उसके ससुरजी घर से बाहर आये तो लकड़ियों और पत्थरों से मारपीट की जिससे उनकी दायी के आंख के नीचे खून निकल आये। वह और उसकी ननद आये उन्होंने आकर बीच बचाव किया। बीच बचाव में उसकी ननद के भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। उक्त घटना की उसके ससुर ने रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी1 है जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह और रीना बाई लड़ाई झगड़े के बाद आये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नही हुई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि धुलीलाल के साथ मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा था।

14. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 4 पुरीलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि कितने साल पहले की बात है उसे पता नही है, उसने कोई घटना नहीं देखी और ना ही वह किसी घटना के बारे में जानता है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि वह फरियादी धुलीलाल व मुलजिमान् बंशीलाल, नन्दूबाई, पूजाबाई, रामप्रसाद, सुनीताबाई को जानता है। इनके लड़ाई झगडे के मामले में उसके पुलिस में बयान नही हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी4 का ए से बी भाग चिल्ला चोट की आवाज सुनकर.......धुलीलाल के साथ मारपीट करके चले गए। उक्त ए से बी भाग सुना गलत लिखा हुआ है। ऐसा बयान उसने नहीं दिये। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त ने जिरह नही करना जाहिर किया।

15. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 5 मांगीलाल ने गवाह पीड 4 पुरीलाल के बयानों की ताईद कर न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि कितने साल पहले की बात है उसे पता नहीं है, उसने कोई घटना नही देखी और ना ही वह किसी घटना के बारे में जानता है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि वह फरियादी धुलीलाल व मुलजिमान् बंशीलाल, नन्दूबाई, पूजाबाई, रामप्रसाद, सुनीताबाई को जानता है। इनके लड़ाई झगड़े के मामले में उसके पुलिस में बयान नही हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग चिल्ला चोट की आवाज सुनकर.......... धुलीलाल के साथ मारपीट करके चले गए। उक्त ए से बी भाग सुना गलत लिखा हुआ है। ऐसा बयान उसने नहीं दिये। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त ने जिरह नही करना जाहिर किया।

16. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 6 छोटूलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 05.12.2019 को थाना घाटोली में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 280/2019 की एफआईआर अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान फरियादी धुलीलाल की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी1 गवाहान् रीना व रामकंवरी की उपस्थिति में बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिसके पुश्त ई से एफ भाग में हालत मौका अंकित है। गवाह रीनाबाई, रामकवंरी बाई, पुरीलाला, मांगीलाल, परिवादी धुलीलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। आहत धुलीलाल का मेडिकल करा कर रिपोर्ट प्रदर्श पी6 शामिल पत्रावली करी। बाद अनुसंधान मुलजिम बंशीलाल, नंदुबाई, पूजाबाई, रामप्रसाद, सुनिता बाई के खिलाफ धारा 147, 341, 323, 336, 504/149 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली थानाधिकारी श्री नैनूराम को सुपुर्द करी थी जिन्होंने उक्त मुलजिमान् के खिलाफ उक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। श्री नैनूराम के हस्ताक्षर उनके अधीनस्थ कार्यरत होने से वह पहचानता है, आरोप पत्र पर उनके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि फरियादी थाने पर रिपोर्ट कराने नही आया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी तफ्तीश में दोनों भाईयों के पारिवारिक रंजिश वाली बात आ गई थी। यह वह नहीं बता सकता कि इसी रंजिश की वजह से फरियादी ने बढ़ाचढ़ा कर माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर उस समय मौके पर पत्थर नही पड़े हुए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर फेंके हुए पत्थर नही पड़े हुए थे तथा मौके पर चद्दर टूटी हुई नही थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने फरियादी ने बताये उन्ही गवाहान् के बयान लेखबद्ध किए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल के आस पास के लोगों से कोई पूछताछ नहीं की। यह वह नहीं बता सकता कि फरियादी स्वयं गिर गया हो और मुलजिमान् को रंजिशवश फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।

17. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 7 डॉ सत्येन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 07.11.2019 को सी एच सी अकलेरा पर एसएमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना घाटोली के प्रतिवेदन पर उसने धुलीलाल पुत्र बिरधीलाल मेघवाल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जिसमें निम्न चोटें थी। चोट संख्या 1. कुचला हुआ घाव 2 गुणा 1/2 गुणा

1/4 सेमी दाहिनी आंख के नीचे, चोट संख्या 2. दर्द व सूजन 5 गुणा 5 सेमी दाहिने कंधे पर, चोट संख्या 3. दर्द 7 गुणा 5 सेमी पीठ पर। उक्त सभी चोटें कुंद हथियार से कारीत साधारण प्रकृति की थी। जिनकी अवधि 24 घंटे की भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर एवं सी से डी मजरूब के पहचान चिह्न अंकित है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त सभी चोटें सख्त धरातल पर गिरने पड़ने से आना संभव है।

18. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी धुलीलाल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी2 में यह कथन किया गया है कि मुलजिमान एक राय होकर नाजायज बला बनाकर आपराधिक उददेश्य से अपने हाथों में लकडिया लेकर मां बहन की गालियां निकालते हुए फरियादी के मकान पर आये और पत्थर फेंकने लगे। सभी ने फरियादी के साथ पत्थरों से मारपीट की। रामप्रसाद, पप्पुलाल व बंशीलाल ने पत्थरों से मारपीट की व नन्दु पुजा सुनिता ने लकडियों से मारपीट की जिससे उसके दांयी आंख के नीचे खुन आलुदा चोट आई व दांये कंधे पर चोट सुजननुमा मोर पर जगह जगह चोटे आयी। रीनाबाई के साथ मुलजिमान रामप्रसाद पप्पुलाल बंशीलाल ने मारपीट की तथा रामप्रसाद ने रीना का गला दबाकर नीचे पटक कर उसकी चोटी पकडकर खींचतान की तथा छाती पर बैठ गया। इस संबंध में फरियादी धुलीलाल पीड–3 के रूप में न्यायालय के परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि वह, उसकी पुत्री रीना और बहु रामकंवरी बाई घर पर थे तभी बंशीलाल, रामप्रसाद, नन्दुबाई, पूजाबाई और सुनिता ये सभी हाथों में पत्थर व लकड़ियां लेकर उसके घर आये और मां बहन की गालियां देकर पत्थर फेंकने लगे। उसके साथ लकड़ियों और पत्थरों से मारपीट की। बंशी ने उसके आंख पर पत्थर की मारी जिससे दायी के आंख के नीचे खून निकल आये। रीना और रामकवंरी ने बीच बचाव किया। बीच बचाव में उसकी पुत्री के भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसके साथ किसने मारपीट करी थी उसे ध्यान नही है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके व उसके भाई के जमीन की रंजिश चल रही है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने मुकदमा मुलजिमान को फंसाने के लिये बढ़ाचढ़ा कर किया था। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि स्वंय फरियादी अपने इस्तगासे में मुलजिमान द्वारा उसके साथ पत्थर व लकडियों से मारपीट करना बताता है वही अपनी जिरह में यह कथन करता है कि उसके साथ

किसने मारपीट की थी उसे पता नही है। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने मुकदमा मुलजिमान को फंसाने के लिए बढाचढा कर किया है।

19. इस संबंध में गवाह पीड 1 रीनाबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि वह, उसकी भाभी रामकवंरी बाई व उसके पिताजी घर पर थे तभी बंशीलाल, रामप्रसाद, नन्दुबाई, पूजाबाई और सुनिता हाथों में पत्थर व लकड़ियां लेकर आये और मां बहन की गालियां देकर पत्थर फेंकने लगे। उसके पिताजी के साथ मुलजिमान ने लकड़ियों व पत्थरों से मारपीट की जिससे उनकी दायी के आंख के नीचे खून निकल आये। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर लड़ाई झगड़े के बाद आई थी तथा लड़ाई झगड़ा करते हुए उसने नहीं देखा। उसके सामने कोई घटना नही हुई। ऐसे में न्यायालय के समक्ष उक्त गवाह के बयानों से यह जाहिर हो रहा है कि जब मुलजिमान, फरियादी धुलीलाल के साथ मारपीट कर रहे थे तब वह वक्त घटनास्थल पर मौजूद नही थी तथा उसने लडाई झगडा होते हुए नही देखा। इस संबंध में गवाह पीड 2 रामकंवरीबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि वह, उसकी ननद रीनाबाई व उसके ससुर घर पर थे, तभी बंशीलाल, रामप्रसाद, नन्दुबाई, पूजाबाई और सुनिता हाथों में पत्थर व लकड़ियां लेकर घर आये और मां बहन की गालियां देकर पत्थर फेंकने लगे। उसके ससुर के साथ मुलजिमान ने लकड़ियों व पत्थरों से मारपीट की जिससे उनकी दायी के आंख के नीचे खून निकल आये। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह और रीना बाई लड़ाई झगड़े के बाद आये थे। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नही हुई तथा उसने धुलीलाल के साथ मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा था। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह जाहिर हो रहा है कि फरियादी धूलीलाल के साथ मुलजिमान पत्थर व लकडी से मारपीट कर रहे थे तब वह घटनास्थल पर मौजूद नही थी। वह तथा रीनाबाई लडाई झगडे के बाद घटनास्थल पर गए थे। गवाह पीड–4 पुरीलाल व पीड–5 मांगीलाल न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है जिन्होंने घटना के बारे में कोई जानकारी नही होने बाबत कथन किए है। ऐसे में उक्त गवाहन ने इस्तागासे की लेशमात्र भी ताईद नही की है। गवाह पीड–6 छोटूलाल है जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने कथन किया कि उसकी तफतीश में दोनों भाइयों के पारिवारिक रंजिश वाली बात आ गई थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि घटनास्थल पर उस समय मौके पर पत्थर पडे हुए नही थे तथा ना ही घटनास्थल पर फेंके हुए पत्थर पडे हुए थे। और

ना ही मौके पर चददर टूटी हुई थी जबकि फरियादी धुलीलाल ने इस्तगासे प्रदर्श पी2 में घरों में पत्थर फेंकने तथा चददर टुटने बाबत कथन किए हैं।

20. उपर्युक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी धूलीलाल पीड–3 के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी2 में वर्णित कथनों एवं न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है एवं उक्त गवाह जिरह में पूर्ण रूप से खण्डित रहा है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के स्वतंत्र गवाह पीड–1 रीनाबाई, पीड–2 रामकंवरीबाई ने अपने बयानों में उनके सामने मारपीट नहीं होने बाबत कथन किए हैं। प्रकरण में प्रस्तुत स्वतंत्र गवाह पीड–4 पुरीलाल व पीड–5 मांगीलाल ने भी इस्तगासा प्रदर्श पी2 में वर्णित कथनों की ताईद नही की है।

21. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के संबंध में संदेह से परे मामला साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री एवं समस्त गवाहन के बयानों के अवलोकन सें अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 6.11.2019 को समय करीब 9 बजे के लगभग ग्राम मौजा दुर्जनपुरा थाना घाटोली में परिवादी धुलीलाल को सदोष अवरोध कारित कर सामान्य उददेश्य के अग्रसरण मे बल व हिंसा का प्रयोग कर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से भय में डालकर मानव जीवन संकटापित कर लोकशांति भंग करने के आशय से फौश गालियां देकर उनके साथ मारपीट कर साशय अपमानित किया।।

22. अतः अभियुक्तगण 1. बंशीलाल पुत्र बरदीलाल उम्र 60 साल, 2. नन्दुबाई पत्नी बंशीलाल उम्र 60 साल, 3. पुजाबाई पत्नी रामप्रसाद उम 30 साल, 4. रामप्रसाद पुत्र बंशीलाल उम्र 32 साल, 5. सुनिताबाई पत्नी गिरधारी उम्र 22 साल निवासीगण दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0) पर आरोपित अपराध धारा 147, 341, 323, 336, 504, 149 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

23. अतः **अभियुक्तगण 1. बंशीलाल पुत्र बरदीलाल उम्र 60 साल, 2. नन्दुबाई पत्नी बंशीलाल उम्र 60 साल, 3. पुजाबाई पत्नी रामप्रसाद उम 30 साल, 4. रामप्रसाद पुत्र बंशीलाल उम्र 32 साल, 5. सुनिताबाई पत्नी गिरधारी उम्र 22 साल निवासीगण दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0) पर आरोपित अपराध धारा 147, 341, 323, 336, 504, 149 भा0द0सं0 के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।**

24. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन में उपस्थित रहने के लिए **धारा 437 ए दं.प्र.सं के तहत 10,000/–रुपये की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका** न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

25. निर्णय आज दिनांक 7–03–2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

SAKSHI CHAWLA

Steno Gr.III
"Authenticate document"
Digitally signed by SAKSHI CHAWLA
Date: 2026.03.10 12:54:54 +0530

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।